कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा में राज्य मंत्री) श्री कादम्बूर एम0 आर0 जनार्दनन) : (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार की, लक्ष्मी बाई नगर में कोई शाखा नहीं हैं तथा वहां कोई शाखा खोले जाने का कोई भी प्रस्ताव विचारधीन भी नहीं हैं । फिर भी, केन्द्रीय भण्डार के दो शाखा भण्डार (ब्रांच स्टोर) सरोजिनी नगर में, एक आइ0 एन0 ए0 कालोनी में, एक नौरोजी नगर में तथा एक अन्य पूर्वी किदवई नगर में हैं । ये सभी भण्डार (स्टोर), लक्ष्मी बाई नगर के आस-पास हैं तथा इस कालोनी के निवासियों की आवश्यकताएं पूरी करने में सेवारत हैं ।

Profit Earned by Kendriya Bhandar

2140. CHAUDHARY CHUNNI LAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kendriya Bandar is earning crores of rupees every year; and

(b) if so, the total accumulated profits earned by the Bhandar as compared to the Super Bazar and the NCCF?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) The Kendriya Bhandar has been continuously making profits since 1981-82.

(b) The details of accumulated profit/loss in respect of Kendriya Bhandar, NCCF and Super Bazar upto 1997-98 are given hereunder:—

	(Rs. in crore approximately)
Kendriya Bhandar	(+) 10.80 (-
NCCF	) 38.49 (-)
Super Bazar	02.26

ग्रुप "क" और "ख" सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति

2141. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि संविधान में संशोधन किए जाने के बावजूद जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण का, विशेषकर पदोन्नति के मामलें में, लाभ नहीं मिल पा रहा हैं,

(ख) क्या यह भी सच हैं कि ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" में उनके लिए आरखित अधिकांश पदों को अक्सर अनारक्षित कर दिया जाता हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दलित वर्गों के कर्मचारियों को पदो न्नतियों में, विशेषकर ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" के पदों पर, आरक्षण प्रदान करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाएगीं ?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, रास्व और बीमा में राज्य मंत्री) (श्री कादम्बूर एम0 आर0 जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं । सीधी भर्ती के संबंध में आरखित रिक्तियों के वि-आरक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध हैं । पदोन्नति के कोटे में भरी नहीं जा सकीं आरंक्षित को अस्थाई तौर पर बदल कर, सीधी भर्ती के कोटे में कर दिए जाने के बारे में अनुदेश भी मौजूद हैं तथा वि-आरक्षण का सहारा केवल अन्तिम उपाय के रूप में ही लिया जाना अपेक्षित हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Special Incentives for Posting in North-Eastern Region

2142. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be: pleased to state:

(a) the details of special incentives offered to Central Government officers to attract them for posting in the North-Eastern Region;

(b) whether ail such incentives are equally applicable to the employees also;

(c) if not the clauses applicable;

(d) whether the facilities like special duty allowance, retention of official accommodation both in Delhi and NER have yielded better result; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) With a view to